



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आश्विन, 1946 (श०)

संख्या - 663 राँची, गुरुवार,

17 अक्टूबर, 2024 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

14 अक्टूबर, 2024

संख्या-03/परि.वि.(RVSF)-110/2024-1347--पुराने मॉडल और अनफिट तथा विनिर्दिष्ट मानकों से अधिक प्रदूषण उत्सर्जित करने वाले मोटरवाहनों को प्रतिस्थापित किए जाने के उद्देश्य से सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं-653(अ), दिनांक-23.09.2021 के द्वारा मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम, 2021 एवं अधिसूचना सं-695 (ई), दिनांक-13.09.2022 के द्वारा मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्यसंशोधन) नियम, 2022 अधिसूचित किया गया है। उक्त के क्रम में सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं-29(अ), दिनांक-16.01.2023 के कंडिका 02 में परिभाषित पुराने सरकारी वाहनों का निबंधन रद्द करने के निमित्त निम्न निर्णय लिया गया है:-

“परन्तु सरकारी यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र यदि आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष के अवसान के पूर्व पहले ही नवीनीकृत हो चुका है तो ऐसा प्रमाणपत्र यान के आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष पूर्ण होने पर रद्द माना जाएगा।

परन्तु यह और कि, यह नियम देश की रक्षा के लिए कार्यात्मक प्रयोजन और आंतरिक सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग किये जाने वाले विशेष प्रयोजन यानों (बख्तरबंद और अन्य विशेष यान) पर लागू नहीं होगा।”

उक्त नियम के आलोक में पुराने, अयोग्य एवं प्रदूषण उत्सर्जन कर रहे वाहनों को स्कैप (Scrap) किए जाने हेतु आमजन जनसाधारण को प्रोत्साहित किये जाने हेतु झारखण्ड राज्य में संचालित पुराने सरकारी वाहनों को स्कैप किए जाने के निमित्त निम्न निर्णय लिए गये हैं-

1. झारखण्ड राज्य में संचालित वाहन निबंधन की तिथि से 15 (पंद्रह) वर्ष से अधिक आयु के सरकारी वाहनों, जो कि सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं-29(अ), दिनांक-16.01.2023 के कंडिका 02 में परिभाषित है, वैसे सरकारी वाहनों का निबंधन समाप्त करते हुए शतप्रतिशत स्कैप (Scrap) किया जाएगा।
2. उक्त पन्द्रह वर्ष से अधिक आयु के सरकारी वाहनों की नीलामी नहीं की जाएगी, अपितु वाहनों का Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) के माध्यम से विधिवत स्कैप किया जाएगा।
3. उपर्युक्त वर्णित वाहनों का Buy Back का भी प्रावधान किया जाएगा।
4. यह अधिसूचना मंत्रिपरिषद की दिनांक-27.09.2024 को सम्पन्न बैठक में प्रदत्त अनुमोदन (मद संख्या-07) के आलोक में निर्गत किया गया है।

कृपा नन्द झा,

सरकार के सचिव
परिवहन विभाग।
